FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0325   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/12/2025 14:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 26/10/2025   Date To (दिनांक तक): 30/10/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 07:35 बजे   Time To (समय तक): 15:20 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/12/2025   Time (समय): 13:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय): 10/12/2025 14:03:13 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 90 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b)Address(पता): KARALYA PATWAR GHAR DOODWA, KHETRI JILA JHUNJHUNU
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NETRAM YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JORAWAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1950 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHIMLA, KHETRI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHIMLA, KHETRI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ASHOK KUMAR		पिता:MEER SINGH	1. GRAM POST GAURIR,KHETRI,JHUNJHUNU, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 25.10.2025 को श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन नम्बर 1064 ने परिवादी श्री नेतराम के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर परिवादी से सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये। जिस पर श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री नेतराम के मोबाईल पर जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उक्त फोन परिवादी नेतराम के लड़के से वार्ता हुई जिसने बताया कि मेरे पिताजी खेत मे गये हुये जिनके मोबाईल पर सम्पर्क करने हेतु बताया। तत्पश्चात परिवादी से जरिये मोबाईल वार्ता हुई तो बताया कि मै शिमला का रहने वाला हूँ। मैने मेरी खातेदारी जमीन के सीमाज्ञान हेतु करीब एक महिने पहले आन लाईन आवेदन किया था। श्री अशोक कुमार मान पटवारी ने मेरी खातेदारी जमीन का सीमा ज्ञान कर दिया जिसकी रिपोर्ट लेने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने मेरे से 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। मै पटवारी को रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने बताया कि मै बुर्जग व्यक्ति हूँ तथा झुंझुनूं आने में असमर्थ हूँ, आप अपने किसी व्यक्ति को मेरे पास मै जब भी फोन करु, भिजवा देना। पृथम दृष्टया मामला रिश्वत मांग होना पाया गया। दिनांक 29.10.2025 को श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादी श्री नेतराम का फोन आया तथा बताया कि मै कल श्री अशोक कुमार पटवारी से मिलकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा सकता हूँ। परिवादी ने बताया कि उसकी उम्र 75 वर्ष है जो झुंझुनूं स्थित एसीबी कार्यालय आने में असमर्थ है एवं परिवादी ने बताया कि मेरे पास कोई साधन भी नही है, आप अपने कर्मचारी को मेरे पास खेतड़ी भिजवा देना जिन्हे मै कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र भी दे दुंगा। जिस पर दिनांक 30.10.2025 को कार्यालय के श्री विक्रम सिंह कानि 92 को तलब कर परिवादी श्री नेतराम के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर सुपूर्द किया। कानि को हिदायत की गई की परिवादी से कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाना है। कानि को परिवादी के पास खेतडी रवाना किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि 92 ने जरिये मोबाईल श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै खेतडी बस स्टेण्ड पहुंचा जहां परिवादी श्री नेतराम उपस्थित मिला। परिवादी ने मुझे श्री अशोक कुमार पटवारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। मैने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु व बन्द करने की विधि समझाई। मै व परिवादी मोटर साईकिल से मेहाड़ा पहुंच परिवादी के मोबाईल से श्री अशोक कुमार पटवारी के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो पटवारी ने बात करने हेतु दुदवा पटवार घर में बुलाया। उक्त वार्ता को डिजिटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। तत्पश्चात मेहाड़ा से रवाना होकर दुदवा पटवार घर के पास पहुंच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु पटवार घर में भेजा। मै अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री अशोक कुमार पटवारी ने मेरी जमीन के सीमाज्ञान की मौका रिपोर्ट देने की एवज में 7000 रुपये रिश्वत की मांग की है तथा पटवारी ने रिश्वत राशि कल दिनांक 31.10.2025 को सुबह देने के लिए कहा है। मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना तो परिवादी की बातो की पुष्टी होना पाई गई। परिवादी ने बताया कि मै कल सुबह 7000 रुपये सहित मेहाड़ा में गोगाजी मन्दिर के पास मिल जाउंगा। दिनांक 30.10.2025 श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 को अधीक्षण अभियंता, एवीवीएनएल झुंझुनू से स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार, वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (झुंझुनूं वृत) एवीवीएनएल झुंझुनूं व श्री सुरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता (वितरण) एवीवीएनएल झुंझुनूं को हमरा लेकर हाजिर आया जिनको दिनांक 31.10.2025 को कार्यालय उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि 92 उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व परिवादी श्री नेतराम यादव का एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय खसरा नम्बर 3403/2038 ग्राम दुदवा, पटवार हल्का दुदवा नांगलिया की जमाबंदी, स्वयं का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति एवं फर्द सुपूर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यौरो झुंझुनूं विषय रिस्पत नही देकर रंगे हाथो पकवाड़ बाबत महोदे नम्र निवेदन है कि मै शिमला का रहने वाला हूँ मेरी खातेदारी की जमीन ग्राम दुदुवा पटवार हल्का दुदवा नांगलिया में है इस का सीमा ज्ञान हेतु मैने करिब एक माह पहले ओन लाईन आवेदन किया था जिस पर पटवारी अशोक कुमार मान दिनांक

15-10 को सीमा ज्ञान किया था जिसकी मौका रिपोर्ट लेने हेतु पटवारी अशोक कुमार से मिला तो उसने मौका रिपोर्ट देने के लिए 11,000/रु रिसपत के मांगे मै पटवारी अशोक कुमार को रिसपत ने देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा पटवारी कोई उधार लेनदेन नही है कानुनी कारावाई करने की कृपा करें। दिनांक 30.10.2025 एसडी श्री नेतराम यादव पुत्र जोरावर सिंह यादव निवासी शिमला। श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को चला कर सुना तो कानि एवं परिवादी द्वारा बताई गई बातो की ताईद होना पाई गयी तथा परिवादी श्री नेतराम यादव का प्रार्थना पत्र एवं डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 31.10.2025 को श्री शब्बीर खान उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नेतराम का प्रार्थना पत्र मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अब तक की कार्यवाही से अवगत करा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को सुना तो परिवादी श्री नेतराम से आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से 7000 रुपये रिश्वत की मांग करने की पुष्टी होना पाई गई है। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार सहायक प्रशानिक अधिकारी एवं श्री राकेश कुमार वाणिज्य प्रथम प्रथम, कार्यालय अधीक्षण अभियंता एवीवीएनएल झुंझुनूं से उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व समझाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि आलमारी से निकालकर श्री नरेन्द्र सिंह कानि 81 से सरकारी वाहन के डेस्कबोर्ड में रखवा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री विक्रम सिंह 92, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री प्रवीण कुमार कानि 36, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार, मय सरकारी वाहन व चालक श्री जगदेव सिंह, प्राईवेट वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप, दिनांक 30.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु ग्राम दुदवा रवाना हुये एवं ग्राम मेहाड़ा में गौगाजी मन्दिर के पास पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया। पाबन्दशुदा परिवादी श्री नेतराम यादव उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नेतराम को प्रार्थना पत्र दिखाया तो परिवादी ने दरियाफ्त बताया कि आप जो प्रार्थना पत्र दिखा रहे हो वो मेरे द्वारा लिखा गया जो मैने कल आपके कर्मचारी श्री विक्रम सिंह को लिख कर दिया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। मैने मेरी खातेदारी जमीन के सीमाज्ञान हेतु करीब एक महिने पहले आन लाईन आवेदन किया था। श्री अशोक कुमार मान, पटवारी ने मेरी खातेदारी जमीन का सीमा ज्ञान कर दिया जिसकी रिपोर्ट लेने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने मेरे से पहले 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी तथा कल मै दुबारा पटवारी जी से मिला तो उन्होने मेरे से 7000 रुपये रिश्वत की मांग कर आज लेना तय किया है। तत्पश्चात परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री नेतराम यादव ने रिष्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटां पर श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री राकेश कुमार से परिवादी श्री नेतराम यादव की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7000 रूपये के नोट श्री नरेन्द्र कुमार कानि. 81 से परिवादी की पहने हुये कुर्ते की बाई जेब में रखवाये गये। परिवादी श्री नेतराम यादव को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशि देकर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्य एवं परिवादी के मेहाड़ा से दुदवा के लिए रवाना हुये। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्य एवं परिवादी श्री नेतराम यादव के दुदवा गावं से पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा करवाया। परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर सुपूर्द किया। परिवादी के साथ श्री विक्रम सिंह कानि 92 को मोटर साईकिल से पटवार घर के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, श्री प्रमोद पूनिया क.स., स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये तथा शेष ट्रेप पार्टी सदस्यो को वाहन में मुकिम रहने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात परिवादी बिना कोई ईशारा

कर पटवार घर के बाहर आया जिससे मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि मै पटवार घर गया तो पटवारी ही नही मिले जिनसे मैने मोबाईल पर बात की तो उन्होने मुझे गौरीर गांव के स्कुल ग्राउण्ड के पास बुलाया है। जिस पर परिवादी को पुनः डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपूर्द कर कानि विक्रम सिंह के साथ मोटर साईकिल सहित रिश्वत देने हेतु पटवारी श्री अशोक कुमार के बताये अनुसार गौरीर गांव के स्कुल ग्राउण्ड के लिए रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, श्री प्रमोद पूनिया क0स0, स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री नेतराम यादव बिना ईशारा किये वापस आया जिससे मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि स्कुल ग्राउण्ड के पास श्री अशोक कुमार पटवारी कार लेकर आया था जिनसे मैने मेरे काम के संबंध में वार्ता की तथा उनके बताये अनुसार रिश्वत देना चाहा तो पटवारी ने कल-परसो रिश्वत देने के लिए कहा, मेरे द्वारा पुनः कहने पर वो बिना बताये ही अपनी कार को तेज गति से लेकर रवाना हो गया, शायद उन्हे एसीबी कार्यवाही की शंका हो गई है। अब वो मेरे से रिश्वत नही लेगा। आरोपी को अपनी कार से भगते हुये मन पुलिस निरीक्षक मय टीम के जो साईड में मुकिम थे स्पष्ट रूप से देख लिया था। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री नेतराम यादव मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के गांव दुदवा से एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुआ। एसीबी कार्यालय पहूंचकर अग्रिम कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान पैकेटो को शिल्ड करने में पितल की नमूना शील नम्बर 5 उपयोग में ली गई। उक्त फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री नेतराम यादव व आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी, पटवार हल्का दूदवा नांगलिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं से रुबरु हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमारी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। उक्त डिजिटल वार्यस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री नेतराम यादव व आरोपी श्री अशोक कुमार के बीच दिनांक 30.10.2025 को हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री नेतराम यावद व स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। मैमारी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को तीन पैनड्राईव कम्पनी hp 32 gb के तैयार कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB को निकालकर उसी की पैंकिग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर थैली पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कार्यालय कम्प्यूटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री नेतराम यादव व आरोपी श्री अशोक कुमार, पटवारी, पटवार हल्का दूदवा नांगलिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं से दौराने रिश्वत लेनदेन रुबरु हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमारी कार्ड में रिकार्ड किया गया है। उक्त डिजिटल वार्यस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण श्री विक्रम सिंह कानि. 92 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादी श्री नेतराम यादव व आरोपी श्री अशोक कुमार के बीच दिनांक 31.10.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री नेतराम यावद व स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर की सहायता से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। मैमारी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को तीन पैनड्राईव कम्पनी hp 32 gb के तैयार कर पैन ड्राईव की हैश वैल्यु निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर परिवादी व गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क बी अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB को निकालकर उसी की पैंकिग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर थैली पर मार्क बी-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कार्यालय कम्प्यूटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी की आवाज होने की पहचान की है। फर्द वार्ता रुपान्तरण रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री नेतराम यादव की उपस्थिति में आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 5 को कार्यालय के श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री नेतराम यादव द्वारा पूर्व में ट्रेप कार्यवाही में उपलब्ध करवाई गई रिश्वत

राशि 7000 रूपये वापिस लौटाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रिश्वती राशि 7000 रूपये फिनाफ्थलीन पाउडर से मुक्त कर परिवादी को लौटाई गई।आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा परिवादी की खातेदारी जमीन का सीमाज्ञान कर दिया जिसकी मौका रिपोर्ट लेने हेतु परिवादी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा 11,000 रुपये रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 30.10.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा 7000 रूपये की मांग की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 30.10.2025 को परिवादी श्री नेतराम यादव व आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी के मध्य रुबरु हुई वार्ता के दौरान परिवादी कहता है कि हूं न्यू कु सु एक मिनट पैसा थम किमी ग्यारह हजार स कम करो थोडा बहुत जिस पर आरोपी कहता है कि थाहरी मर्जी फिर परिवादी कहता है कि हा पांचेक दे दू पांचेक हजार रूपया तब आरोपी कहता है कि पांच में तो क्यामे होगो बताओ तब परिवादी कहता है थम पांच हजार सु मान जावोगा गरीब आदमी हू फिर आरोपी कहता है कि थे सात दे दियो तब परिवादी कहता है हां फिर आरोपी कहता है सात दे दियो इस प्रकार आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी, पटवार हल्का दुदवा नांगलिया, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा परिवादी की खातेदारी की जमीन का सीमाज्ञान कर मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की एवज में 11,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के समय 7,000 रुपये रिश्वत की मांग करना पाया गया है।अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम पोस्ट गौरीर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार मण्डल बसई, अति0 चार्ज पटवार हल्का दूदवा नांगलिया, जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी द्वारा अपनी खातेदारी जमीन के सीमाज्ञान का आवेदन करने पर आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा परिवादी की खातेदारी जमीन का सीमाज्ञान कर दिया जिसकी मौका रिपोर्ट लेने हेतु परिवादी ने पटवारी से सम्पर्क किया तो आरोपी श्री अशोक कुमार पटवारी द्वारा 11,000 रुपये रिश्वत की मांग करना एवं दिनांक 30.10.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री अशोक कुमार द्वारा 7000 रूपये की मांग करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का दण्डनीय कृत्य है। आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम पोस्ट गौरीर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार मण्डल बसई, अति0 चार्ज पटवार हल्का दूदवा नांगलिया, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है।(सुरेश चन्द)पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं।..............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मीर सिंह, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम पोस्ट गौरीर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं हाल पटवारी, पटवार मण्डल बसई, अति0 चार्ज पटवार हल्का दूदवा नांगलिया, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार पूनिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 141 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1842-45 दिनांक 10.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनूं 2- जिला कलक्टर, जिला झुन्झुनूं 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDRA KUMAR POONIA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]2/2025 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)